राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प0 5(3)कार्मिक/क–2/94पार्ट जयपुर, दिनांक:–06-12-2012

परिपत्र

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.10.2002 एवं 10.06.2008 के द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में, राज्य के सशस्त्र बलों के ऐसे सदस्य, जो युद्ध या विद्रोहीयों के खिलाफ जवाबी कार्यवाईयों और आंतकवादियों के विरुद्ध कार्यवाईयों सहित, प्रतिरक्षा कार्यवाई में शहीद हो जाते है अथवा स्थायी रुप से अशक्त हो जाते है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर कनिष्ट लिपिक के पद पर नियुक्त कार्मिकों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 3(5)कार्मिक/क–2/97 दिनांक 31.05.99 में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 में विहित प्रावधान के अन्तर्गत टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान है।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कनिष्ट लिपिक के पद पर नियुक्त मृतक आश्रित को राजकीय सेवा में कार्यग्रहण तिथि से 03 वर्ष की अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 5(5)कार्मिक/क–2/86पार्ट दिनांक 07.09.2009 परिपत्र दिनांक 13.05.2011 के द्वारा सभी आश्रित विधवा महिलाओं को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 01.10.2002 एवं 10.06.2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के सशस्त्र बलों के ऐसे सदस्य, जो युद्ध या विद्रोहीयों के खिलाफ जवाबी कार्यवाईयों और आंतकवादियों के विरुद्ध कार्यवाईयों सहित, प्रतिरक्षा कार्यवाई में शहीद हो जाते है अथवा स्थायी रुप से अशक्त हो जाते है, की आश्रित पत्नि/वीरांगनाओं को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किये जाने के पश्चात् टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की अनिवार्यता से मुक्त होगी।

समस्त संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि ऐसी शहीद आश्रिता वीरांगनाओं को नियमानुसार टंकण परीक्षा से मुक्त रखा जावें।

कृपया उपरोक्त निर्देश आपके अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाये तथा इनकी पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

6/12/2012
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
5. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
6. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राज0, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार यादव)
शासन उप सचिव

67/2012

E:\d\DOP\kailash g\Letter.doc 66 S